झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग
एच.ई.सी., सेक्टर–2, धुर्वा, राँची

अल्पकालीन निविदा सूचना

भाग–1

मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा विधान सभा निर्वाचन 2019 में वीवीपैट के सुरक्षित एवं सुगम परिवहन हेतु वीवीपैट बैग की आपूर्ति हेतु मान्यता प्राप्त अनुभवी एवं प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्त्ताओं से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है, जिससे संबंधित विवरणी निम्नवत् है:–

(क)	निविदा प्रकाशन की तिथि	:–	26.09.2019
(ख)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	:–	11.10.2019 (अप0 03.00 बजे तक)
(ग)	उक्त निविदा हेतु इच्छुक निविदादाताओं के साथ प्री–बीड बैठक	:–	03.10.2019 (अप0 04.00 बजे)
(घ)	निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	:–	11.10.2019 (अप0 04.00 बजे)

भाग–2

कार्य क्षेत्र में समाहित कार्य का विवरण

(Scope of Work)

1. राज्य के सभी जिला निर्वाचन कार्यालयों के लिए लगभग 32421 (बत्तीस हजार चार सौ इक्कीस) वीवीपैट बैग की आपूर्ति की जानी है। आवश्यकतानुसार कार्य की प्रकृति के अनुसार कार्य की अनुमानित संख्या घट अथवा बढ़ सकती है।

भाग–3

निविदादाताओं के लिए विशेष निर्देश एवं आवश्यक शर्त्तें

1. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा विधान सभा निर्वाचन 2019 में वीवीपैट के सुरक्षित एवं सुगम परिवहन हेतु वीवीपैट बैग की आपूर्ति हेतु मान्यता प्राप्त अनुभवी एवं प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्त्ताओं से दिनांक–11/10/2019 के अप0 03.00 बजे तक मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

2. निविदा दो लिफाफों में (तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड के रूप में) समर्पित की जाएगी तथा लिफाफे के उपर दर निर्धारण हेतु निविदा (तकनीकी बीड/वित्तीय बीड) अवश्य अंकित किया जाएगा। तकनीकी बीड में निविदा की शर्तो से संबंधित कागजात, अनुभव संबंधी प्रमाण, वीवीपैट बैग का सैंपल तथा वित्तीय बीड में सामग्री का नाम एवं दर होगा। दर सभी प्रकार के कर रहित होने चाहिए।

3. उल्लिखित अंतिम तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदाओं में से तकनीकी निविदाओं को दिनांक–11/10/2019 को अप0 04.00 बजे विभागीय क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा एवं इनका मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी रूप से योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं का वित्तीय बीड खोला जाएगा।

4. आपूर्तिकर्त्ता एजेंसी को वीवीपैट बैग हेतु निर्धारित संलग्न विशिष्टियों के अनुरूप बैग उपलब्ध कराना होगा।

5. विभिन्न प्रकार के बैग आदि की अपेक्षित गुणवत्तायुक्त सामग्री की आपूर्ति करने का अनुभवन होना अनिवार्य है, जिसके साक्ष्य की प्रति तकनीकी बीड में संलग्न करना आवश्यक है।

6. विभिन्न प्रकार के बैग आदि के संतोषप्रद ढंग से गुणवत्ता युक्त आपूर्ति संबंधी कार्यों का विगत् तीन वर्षों में एजेंसी की नेटवर्थ पॉजिटिव हो।

7. एजेंसी के नेटवर्थ पॉजिटिव होने से संबंधित बैलेंस सीट की सी0ए0 द्वारा सत्यापित प्रति तकनीकी बीड के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

8. वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में से किसी भी एक वर्ष में कम–से–कम दस लाख रूपये तक के एकमुश्त कार्यादेश की प्रति एवं सन्तोषजनक कार्य करने के पश्चात् भुगतान संबंधी वांछित अभिलेखों की प्रति भी तकनीकी बीड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9. निविदा प्रस्तुतकर्त्ता एजेंसी को भारत सरकार/किसी भी राज्य सरकार से ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। निविदादाता को एक सौ रूपये के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथपत्र तकनीकी बीड में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि:–

   (क) एजेंसी भारत सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार / विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं है और न ही उनके जमानत की धनराशि को जब्त किया गया है।

(ख) किसी भी सरकारी विभाग / कार्यालय से किसी भी प्रकार का कोई विधिक विवाद नहीं है।

(ग) निविदा के साथ एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सभी सूचनाएँ एवं अभिलेख सत्य हैं और कोई भी सूचना, जिसे निविदा के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था, छिपाई नहीं गई है।

10. वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 तक के जमा आयकर रिटर्न से संबंधित रसीद/अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति तकनीकी बीड के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. निविदा के साथ अग्रधन (EMD) के रूप में ₹ 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड के पदनाम से तथा राँची में भुगतेय हो, अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

12. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री अपेक्षित गुणवत्तायुक्त होनी अनिवार्य है। निविदादाता एजेंसी को तकनीकी निविदा के साथ बैग का एक नमूना भी सील्ड लिफाफे के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत बैग के नमूने तकनीकी निविदा के भाग समझे जायेंगे और इन्हें न तो वापस किया जायेगा और न ही इनका कोई भुगतान किया जायेगा। अन्तिम रूप से तकनीकी अहर्ता प्राप्त एजेंसियों की वित्तीय निविदा खोले जाने के फलस्वरूप बैग की आपूर्ति के संबंध में आगणित कुल न्यूनतम धनराशि के आधार पर जिस एजेंसी को नियमानुसार L-1 में वर्गीकृत किया जायेगा, उसे कार्यादेश निर्गत होने के पूर्व बैग के 25 नमूने उपलब्ध कराने होंगे, जो वास्तविक रूप से आपूर्ति किये जाने वाले बैगों के अनुसार ही होंगे।

13. आपूर्तिकर्त्ता एजेंसी को आपूर्ति किये गये सामग्री की गुणवत्ता पर एक वर्ष की वारंटी उपलब्ध करानी होगी।

14. तकनीकी निविदा के साथ अपेक्षित अग्रधन की राशि का ड्राफ्ट संलग्न नहीं होने पर निविदा मान्य नहीं होगी।

15. निर्धारित तिथि, समय पर निविदा समिति के द्वारा प्राप्त निविदाओं को खोला जाएगा। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन एवं वर्गीकरण के उपरांत अहर्ता प्राप्त निविदादाताओं की सूची तैयार की जाएगी तथा अहर्ता प्राप्त निविदादाताओं के वित्तीय बीड को खोला जाएगा।

16. सफल निविदादाता एजेंसी को कार्य की कुल राशि के दस प्रतिशत राशि के समतुल्य राशि का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक गारंटी, कार्यादेश निर्गत होने के पूर्व विभाग में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

17. सफल निविदादाता एजेंसी के द्वारा बैंक गारंटी जमा करने के उपरांत उनके द्वारा निविदा के साथ समर्पित किये गये अग्रधन की राशि का ड्राफ्ट वापस कर दिया जाएगा।

18. यदि L-1 एजेंसी द्वारा निविदा की शर्तों के साथ कार्य करने पर असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा समर्पित अग्रधन (EMD) की राशि जब्त कर ली जाएगी।

19. निविदा समिति की अनुशंसा के आधार पर L-1 एजेंसी द्वारा कार्यादेश निर्गत होने पर नियत तिथि तक अपेक्षित गुणवत्ता के साथ निर्धारित मात्रा में अपेक्षित सामग्री उपलब्ध न कराने पर संबंधित एजेंसी की बैंक गारंटी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी और एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करते हुए Liquidated Damage के रूप में कार्यादेश के अनुरूप अनुमानित व्यय का अधिकतम दस प्रतिशत धनराशि के भुगतान का विभाग द्वारा दावा किया जा सकेगा, जो बैंक गारंटी की जब्त की गई धनराशि के अतिरिक्त होगा। विलम्ब की स्थिति में प्रतिदिन कुल धनराशि का एक प्रतिशत की धनराशि व अधिकतम 10 प्रतिशत पेनाल्टी के रूप में ली जाएगी। ऐसी स्थिति में विभाग, संबंधित एजेंसी के विरूद्व न्यायिक / दण्डात्मक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

20. समय पर संतोषजनक ढंग से सामग्री आपूर्ति हेतु परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग या अन्य किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा और इस हेतु किसी भी प्रकार का

कोई दावा या क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। संबंधित एजेंसी उक्त के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

21. निविदा समिति की अनुशंसा के आधार पर नियमानुसार किसी भी एजेंसी की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् संबंधित एजेंसी को एक सौ रूपये के नॉन जुडिशियल स्टॉम्प पेपर पर तत्काल अनुबंध करना होगा, जिसकी विषय वस्तु से यथा समय अवगत करा दिया जाएगा।

22. तकनीकी निविदा के साथ निम्नांकित अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति, जिसके प्रत्यक पृष्ठ पर एजेंसी की मुहर लगी हो तथा अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर किये गये हों अनुलग्नक–1 पर सारांश सहित संलग्न कर जमा किया जाना है:–

(क) GST रजिस्ट्रेशन संबंधी स्वप्रमाणित अभिलेख।

(ख) एजेंसी के पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

(ग) सन्तोषप्रद ढंग से गुणवत्तायुक्त सामग्री आपूर्ति का अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

(घ) अपेक्षित वित्तीय वर्षों की नेटवर्थ पॉजिटिव होने से संबंधित बैलेंस सीट की सी०ए० द्वारा सत्यापित प्रति।

(ङ.) ब्लैक लिस्टेड न होने का नोटरी के समक्ष तैयार शपथ–पत्र की मूल प्रति।

(च) विगत तीन वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में दस लाख रूपये तक के एकमुश्त कार्यादेश की प्रति / सन्तोषजनक कार्य करने के पश्चात् भुगतान संबंधी वांछित अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति।

(छ) वित्तीय वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 तक जमा आयकर रिटर्न से संबंधित रसीद/अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति।

(ज) EMD के रूप में रु0 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड के पदनाम से तथा राँची में भुगतेय हो।

(झ) निविदा हेतु निर्धारित नियम/शर्त्तों के इस अभिलेख की स्वप्रमाणित छायाप्रति जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर एजेंसी की मुहर सहित अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हों।

(ञ) निविदा हेतु Non Refundable निर्धारित शुल्क ₹ 1000/– (एक हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड के पदनाम से तथा राँची में भुगतेय हो।

23. वित्तीय बीड में वीवीपैट बैग की दर स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिए। प्रस्तुत वित्तीय बीड में दर, गन्तव्य तक परिवहन, लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित एवं अन्य करों रहित होनी चाहिए।

24. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड की मांग के अनुरूप संबंधित वीवीपैट बैग राज्य के निम्न 24 जिला निर्वाचन कार्यालयों में कार्यादेश निर्गत होने से एक माह के अन्दर पहुंचाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित एजेंसी का होगा। गन्तव्य स्थल तक पहुंचाने वाली सामग्री की मात्रा का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रमांक	जिला का नाम	सामग्री का नाम	संख्या
1	साहेगबंज	वीवीपैट बैग	1107
2	पाकुड़	वीवीपैट बैग	1116
3	दुमका	वीवीपैट बैग	1229
4	जामताड़ा	वीवीपैट बैग	768

5	देवघर	वीवीपैट बैग	1370
6	गोड्डा	वीवीपैट बैग	1296
7	कोडरमा	वीवीपैट बैग	388
8	हजारीबाग	वीवीपैट बैग	2066
9	रामगढ़	वीवीपैट बैग	957
10	चतरा	वीवीपैट बैग	984
11	गिरिडीह	वीवीपैट बैग	2633
12	बोकारो	वीवीपैट बैग	1741
13	धनबाद	वीवीपैट बैग	2616
14	पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	वीवीपैट बैग	2074
15	सरायकेला–खरसावां	वीवीपैट बैग	1155
16	प0 सिंहभूम, चाईबासा	वीवीपैट बैग	1413
17	राँची	वीवीपैट बैग	3049
18	खूँटी	वीवीपैट बैग	604
19	गुमला	वीवीपैट बैग	1094
20	सिमडेगा	वीवीपैट बैग	629
21	लोहरदगा	वीवीपैट बैग	357
22	लातेहार	वीवीपैट बैग	747
23	पलामू	वीवीपैट बैग	1975
24	गढ़वा	वीवीपैट बैग	1053
	कुल –	वीवीपैट बैग	32421

25. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के पास सामग्री की गुणवत्ता एवं तकनीकी विशेषताओं को सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्त्ता के स्टोर एवं कार्यस्थल का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। यदि निरीक्षण में कोई सामग्री अपेक्षित गुणवत्तायुक्त नहीं पाई जाती है तो आपूर्तिकर्त्ता एजेंसी के व्यय पर ही आवश्यक परिवर्त्तन करने हेतु निविदादाता को सूचित किया जायेगा, जिसकी आपूर्ति अनिवार्य होगी।

26. राज्य के सभी 24 जिला में आपूर्ति की गयी सामग्री का संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/समिति को रेण्डम सैम्पलिंग के आधार पर टेस्ट करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। सामग्री के टेस्ट में असफल होने अथवा गुणवत्ता निम्न स्तर की होने पर एजेंसी को अपने स्वयं के व्यय पर अभीष्ट सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।

27. कार्यादेश के पश्चात् एजेंसी के द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित देयकों का न तो भुगतान किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार किया जायेगा साथ ही जमानत की धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी जिसके लिए

संबंधित एजेंसी आदि स्वयं उत्तरदायी होगी। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार दण्डनीय कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति का दावा भी किया जा सकेगा।

28. निविदा की शर्त्तों के अधीन संतोषजनक ढंग से आपूर्ति किए जाने के फलस्वरूप विभाग का समाधान हो जाने के पश्चात् ही आपूर्तिकर्त्ता एजेंसी आदि को एक माह पश्चात् मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड के निर्देशानुसार ही उनकी अग्रधन की राशि लौटाए जाने पर विचार किया जायेगा।

29. देयक की कुल धनराशि के सापेक्ष विभाग द्वारा नियमानुसार करों की कटौती की जाएगी।

30. सामान्यतः अग्रधन की वैधता निविदा की अन्तिम वैध अवधि के पश्चात् 45 दिन होगी परन्तु इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। तकनीकी रूप से असफल निविदादाताओं की अग्रधन की राशि ऐसी निविदाओं की अस्वीकृति के पश्चात् संबंधित एजेंसी को वापस लौटा दी जाएगी।

31. कार्यादेश जारी होने के पश्चात् निर्धारित समयान्तर्गत (अधिकतम एक माह) अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति की जानी नितान्त आवश्यक होगी, विलम्बतम् एक सप्ताह अन्दर आपूर्ति न किये जाने की दशा में आपूर्ति आदेश को निरस्त समझा जायेगा और संबंधित एजेंसी की जमानत की धनराशि जब्त करते हुए ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

32. कार्यादेश के अनुरूप निर्धारित समयान्तर्गत गुणवत्ता के साथ अपेक्षित सामग्री आपूर्ति के फलस्वरूप तद्विषयक विपत्र भुगतान हेतु तीन प्रतियों में प्रस्तुत किये जायेंगे। बजट की उपलब्धता के अनुसार संबंधित देयकों का यथाशीघ्र विभाग द्वारा भुगतान किया जा सकेगा।

33. सशर्त कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी। आवश्यकता पड़ने पर निविदा के नियम/शर्तों में संशोधन/परिवर्त्तन करने अथवा निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा पूर्ण रूप से रद्द करने का सर्वाधिकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड को सुरक्षित होगा। उक्त के संदर्भ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

34. निविदा के संबंध में न्यायाधिकार क्षेत्र राँची मुख्यालय होगा। विवाद की स्थिति में विभागीय मध्यस्थता (Arbitration) का अधिकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड में निहित होगा।

24/3/19

(विनय कुमार चौबे)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–सचिव

वीवीपैट बैग की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र

1.	एजेंसी का नाम :–	
2.	एजेंसी का पता :–	
3.	GST पंजीयन संख्या :– (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
4.	एजेंसी का स्थायी लेखा संख्या (पैन नम्बर) :– (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
5.	विभिन्न प्रकार के बैग की आपूर्ति का अनुभव – विवरण :– (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
6.	नेटवर्थ पॉजीटिव विषयक प्रमाण पत्र :– (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
7.	ब्लैक लिस्टेड न होने आदि से संबंधित अपेक्षित शपथ पत्र संलग्न करें :–	
8.	वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 में जमा आयकर रिटर्न का विवरण (प्रमाणित अभिलेखों की प्रति संलग्न करें)	
9.	अग्रधन की जमा राशि EMD का विवरण :– (बैंक ड्राफ्ट आदि की संख्या, दिनांक एवं धनराशि अंकित करें)	
10.	निविदा हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण :– (बैंक ड्राफ्ट आदि की संख्या, दिनांक एवं धनराशि अंकित करें)	
11.	विगत तीन वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में कम से कम दस लाख रूपये तक के एकमुश्त कार्यादेश की प्रति एवं संतोषजनक कार्य करने के पश्चात् भुगतान संबंधी वांछित अभिलेखों की प्रति भी संलग्न करनी अनिवार्य होगी।	
12.	संलग्नकों की संख्या :–	

निविदादाता की घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि, वीवीपैट बैग की आपूर्ति हेतु मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड द्वारा निविदा के लिए निर्धारित क्रमांक 1 से 34 तक उल्लिखित नियम/शर्तों को भली–भांति से पढ़ व समझ लिया गया है और तत्पश्चात् ही निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग किया जा रहा है। निविदा के लिए विभाग द्वारा नियत उपरोक्त नियम एवं शर्तें स्वीकार करते हुए यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के नियम/शर्तों का किसी भी प्रकार से अनुपालन न करने या उल्लंघन करने के लिए एजेंसी उत्तरदायी होगी।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पूरा पता ....

फोन/फैक्स नं0 ....

मोबाईल नं0 ....

ई–मेल आई.डी. ....

एजेंसी की मुहर यहाँ पर लगाई जाय।

वित्तीय बीड

S.No.	Name of the Item	Rate (Rs) per piece (Including transportation Cost & Excluding all Taxes)	Quantity	Total
1.	VVPAT Bag		32421	

निविदादाता एजेंसी का नामः–

एजेंसी का पूरा पता :–

एसटीडी कोड सहित टेलीफोन नंबर :–

जीएसटी नम्बर :–

पैन नम्बर :–

एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम :–

मोबाईल नम्बर :–

आपूर्ति किये जाने वाले वीवीपैट बैग की तकनीकी विशिष्टियों का विवरण

	Specification for VVPAT Bag
Size	18" (Vertical), 18.5"(horizontal), 12"Width
Fabric Material	High quality eco friendly material **Specification of outer Shell Fabric:** 1000D OXFORD, 1000D FDY Yarn, COATING SOLVENT PU*2+ ULY, GSM 330-335, DYEING METHOD : JET DYEING **Specification of inner Shell Fabric:** POLYESTER 70D/190T W/R
Colour	Military green
Bottom Bush / Padded PVC	6.5 x 3" thickness 8 mm (3 Piece per Bag)
Shoulder straps	Base with same fabric size 4"width x 2.5" with adjustable nylon strip and Buckles
	On the top with soft cushion inside 30 mm width, capable of withstanding of 25 kg weight
	Adjustable Shoulder straps, Grab Handle.
Zip	Heavy Duty CFC zip
	Zipper (Fastener) with 2 nos. sliding tabs: Toothed edges of plastic with metal sliding tabs. (Heavy Duty quality)
Additional requirements	The length of the back strap shall be adjustable by means of good quality buckles.
	The bag shall be neatly finished with straight and parallel rows of stitching, wherever required.
	Interlocking Nylon strip stitching with 100% Nylon 40 TKT Thread
	All ends, stress points shall be bartacked strongly to provide extra strength while operational use.
	Fully Padded to provide stability & comfort (foam minimum 6 mm Heavy Duty)
	Buckles made from poly Acetal Material
	Multi colour ECI Logo (6x6") Customized Embroidery will be done
	Department Name Embroidery will be done
	Webbing capacity will be required Minimum 25 Kg.
	Size, Design, Style, colour and shape to be as per specification
	Feel, Finish shall be as per specification.

नोटः— उपरोक्त बैग का एक नमूना भी सील्ड लिफाफे के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत बैग के नमूना तकनीकी निविदा के भाग समझे जायेंगे और इन्हें न तो वापस किया जायेगा और न ही इनका कोई भुगतान किया जायेगा।